भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 889

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 27 फरवरी, 2015/8 फाल्गुन, 1936 (शक) को दिया गया)

राजनैतिक दलों को चंदा

889. श्रीमती संतोष अहलावत :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कंपनियों द्वारा राजनैतिक दलों को चंदा देने के संबंध में मौजूदा कानूनी उपबंध तथा अन्य सांविधिक निदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कंपनियों को लेखापरीक्षा तथा विभिन्न प्राधिकरणों को प्रस्तुत किए जाने वाले तुलन पत्र में इसे दर्शाना अपेक्षित होता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का कंपनियों द्वारा की गई मांग के आधार पर इस पद्धति को बंद करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की समीक्षा प्रक्रिया आरंभ करने और कंपनी (राष्ट्रीय निधियों में दान) अधिनियम, 1951 का उत्सादन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) से (ग) : राजनीतिक दलों में योगदान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 182 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एक कंपनी जो एक सरकारी कंपनी नहीं है और जो कम-से-कम पिछले तीन वित्तीय वर्षों से अस्तित्व में है, वह पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए अपने औसत शुद्ध लाभ का 7.5% सार्वजनिक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत पंजीकृत एक राजनीतिक दल/दलों में योगदान कर सकती है। यह उक्त धारा में विस्तार, प्रकटीकरण और प्रतिबंधों पर निर्भर करताहै। आयकर अधिनियम के तहत निर्वाचन ट्रस्ट कंपनियों की स्थापना की अनुमति मिलने के बाद एक कंपनी भी ऊपर बताई गई सीमाओं और 'निर्वाचन ट्रस्ट कंपनियों' के प्रतिबंधों के अंतर्गत योगदान कर सकती है और इस प्रकार के योगदानों को अपनी लेखाबहियों में भी दिखाना होगा। निर्वाचन ट्रस्ट कंपनियों को कंपनियों के माध्यम से उन्हें प्राप्त राशि और उनके द्वारा राजनीतिक दल या दलों को योगदान की गई राशि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 182(3) में उल्लिखित तरीके से दर्शानी अपेक्षित है। उपर्युक्त व्यवस्था की पुनरीक्षा का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ.) : कंपनी (राष्ट्रीय निधियों में दान) अधिनियम, 1951 के संबंधित प्रावधानों को पहले ही कंपनी अधिनियम, 2013 में शामिल कर लिया गया है। अधिनियम की धारा 181 और 183 कंपनियों को वास्तविक और धर्मार्थ निधियों तथा राष्ट्रीय निधियों आदि में योगदान की छूट देती हैं। कारपोरेट कार्य मंत्रालय इस अधिनियम तथा अन्य अधिनियमों के निरस्तिकरण के लिए आम बिल में कंपनी (राष्ट्रीय निधियों में योगदान) अधिनियम, 1951 की समाप्ति को शामिल करने के लिए विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के साथ एक मत है।

*****